न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 3058-III/14

481
14.8.14

1–शिवनारायण पटेल
2–शिवप्रसाद पटेल
3–रमेश प्रसाद पटेल
4–राजनिवास पटेल
5–सुरेश प्रसाद पटेल
6–राजेश प्रसाद पटेल
7–बुटनी बेवा महावीर पटेल

सभी निवासी ग्राम चोरगड़ी थाना व तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.

........................**निगरानीकर्तागण**

बनाम्

शिवनारायण पटेल तनय रामसेवक कुर्मी सा. चोरगड़ी थाना व तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.

.................**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. रायपुर कर्चुलियान प्रकरण कं. 25/अ 6/06–07 आदेश दिनांक 07.04.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.रा.सं. 1959

श्री लखन प्रताप सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 14.8.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं –

क्रमांक 27143 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 23-8-14 को प्राप्त। राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में बिना किसी आधार के मात्र मौखिक कथनों पर विश्वास कर प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गई है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

......2

सुरेश प्रसाद पटेल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3058–तीन/2014 जिला रीवा

शिवनारायण पटेल आदि विरूद्ध शिवदयाल पटेल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–7–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 25/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 7–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14–4–1999 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष दिनांक 09–8–2007 को लगभग 8 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। जबकि अनावेदक ग्राम पंचायत के बटवारा व नामांतरण कार्यवाही में उपस्थित था जिससे निशानी अंगूठा भी नामांतरण पंजी भी बनाये थे। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पेश कर अपने अंगूठे को फर्जी बताया। अनावेदक ने स्वयं के अंगूठा निशानी जांच करने की मांग की थी जिसपर दिनांक 7–4–14 को अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील ग्राह्य करते हुये अनावेदक के अंगूष्ठ चिन्ह के वैज्ञानिक परीक्षण के आदेश दिये हैं। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक विवादित नामान्तरण/बटवारा प्रकरण जो उभय पक्ष के बीच था उसमें ग्राम पंचायत की पंजी पर अनावेदक के फर्जी अंगूठा लगाकर आदेश होना बताते हुये अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अंगूष्ठ चिन्ह के वैज्ञानिक परीक्षण की कार्यवाही के आदेश दिये हैं। नामांतरण प्रकरण में यदि किसी पक्षकार के अंगूठा निशानी का फर्जी होने की बात कही जाती है तब उक्त अंगूठा निशानी की जांच होना आवश्यक है। यदि निशानी अंगूठा फर्जी पाया जाता है तो स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में विवादित प्रकरण की जानकारी अनावेदक को नहीं थी इसलिए अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 5 का आवेदन मान्य किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंगूठे का वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया परन्तु उसके जांच निष्कर्ष के पूर्व ही धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी अनावेदक के अंगूठा जांच की रिपोर्ट के पश्चात प्रकरण में आगामी कार्यवाही करे।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य